प्रेस नोट दिनांक- 29.04.2025

थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

◆मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए जान से मारने की नियत से शादी के पंडाल में घुसाने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर, राजीव सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय गगन राज सिंह के कुशल नेतृत्व में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-242/2025 धारा 109(1)/281/125(a)/125(b) BNS थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली में वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र यादव उर्फ बम्बू पुत्र स्व0 सुराली यादव निवासी हमीदपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली को आज दिनांक 29.04.25 को समय करीब 07.40 बजे पटनवा तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रही है।
संक्षिप्त विवरण- दिनाँक 27.04.2025 को थाना मुगलसराय पर वादी राजनाथ यादव पुत्र स्व0 कन्हैया यादव निवासी ग्राम हमीदपुर पोस्ट बसन्तनगर थाना मुगलसराय द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनाँक 26.04.2025 को वादी की पुत्री की बारात आयी थी तभी अचानक रात्रि लगभग 11.00 बजे विपक्षी धर्मेन्द्र यादव उर्फ बम्बू पुत्र सुराली यादव निवासी ग्राम हमीदपुर पोस्ट बसन्तनगर थाना मुगलसराय द्वारा टेंपो वाहन को लापरवाही पूर्वक लाकर जान से मारने के नियत से शादी के पंडाल में घुसा दिया गया जिससे शादी में सम्मिलित 06 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आयी थी। थाना स्थानीय द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0स0-242/2025 धारा 109(1),281,125(ए) व 125(बी) पंजीकृत कर अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसने दिनांक 26.04.25 की रात्रि में राजनाथ यादव पुत्र स्व0 कन्हैया यादव निवासी हमीदपुर थाना मुगलसराज जनपद चन्दौली की लड़की की शादी में टेंपो नम्बर UP65GT6780 से घटना कारित करके कई लोगो को घायल कर दिया था

नाम पता अभियुक्त-

1.धर्मेंद्र यादव उर्फ बम्बू पुत्र स्व0 सुराली यादव उम्र 25 वर्ष निवासी हमीदपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

आपराधिक इतिहास–

1.मु0अ0सं0 363/23 धारा 504/506 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 242/2025 धारा 109(1)/281/125(a)/125(b) BNS थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 सतीश चन्द्र सिंह चौकी प्रभारी औद्योगिक नगर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

3.का0 विशाल वर्मा नि. थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

▢थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा बिहार राज्य हेतु 01 स्कोर्पियों वाहन से परिवहन की जा रही है अवैध शराब बरामद

▢स्कोर्पियों वाहन से बरामद शराब की कुल मात्रा 233.280 लीटर अंग्रेजी शराब व 108 लीटर बीयर

▢बरामद शराब के साथ 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

▢बरामद अवैध अंग्रेजी शराब व बीयर की कुल अनुमानित कीमत लगभग 2,00,000 लाख-/ रूपये

श्री मोहित गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र के निर्देशन में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अवैध शराब के परिवहन/तस्करी व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक सदर व राजेश कुमार राय, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस टीम को दिनांक 28.04.2025 को समय करीब 18.15 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि 01 स्कोर्पियों वाहन से शराब की तस्करी करके बिहार ले जाया जा रहा है।
मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा एनएच 02 हाइवे पर स्थित ग्राम बगही कुम्भापुर मेडिकल कालेज के सामनेओवरब्रीज के पास से चेकिंग के दौरान एक स्कार्पियो वाहन संख्या BR24P1752 से कुल 27 पेटी अंग्रेजी शराब आफिसर्स च्वाइस प्रत्येक पेटी में 48 पाउच, कुल 1296 प्रत्येक में 180 ML कुल 233.280 लीटर व 9 पेटी बियर किंग फिसर प्रत्येक पेटी में 24 केन कुल 216 केन प्रत्येक केन में 500 ML, कुल 108 लीटर के साथ एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 200000 लाख रुपये है।
गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना सैयदराजा पर मु.अ.सं. 96/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

देवानन्द यादव पुत्र स्व0 सतेन्द्र यादव निवासी ग्राम बख्तियारपुर थाना बख्तियारपुर जनपद पटना बिहार उम्र 25 वर्ष

विवरण बरामदगी-

1.27 पेटी अंग्रेजी शराब आफिसर्स च्वाइस प्रत्येक पेटी में 48 पाउच, कुल 1296 प्रत्येक पाउच में 180 ML कुल 233.280 लीटर

2.9 पेटी बियर किंग फिसर प्रत्येक पेटी में 24 केन कुल 216 केन, प्रत्येक केन में 500 ML, कुल 108 लीटर

3.एक स्कार्पियो वाहन संख्या BR 24 P 1752

बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 02 लाख रूपये है।

गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक - विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

उप निरीक्षक धर्मदेव प्रसाद सैयदराजा जनपद चन्दौली

उ0नि0 बब्बन सिंह चौहानथाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

का0 रतन कुमार थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

का0 राजू सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली